राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रहमत बनाम अमीर खां

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो |	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 05/12/2024 पारित करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी सिद्ध न होने के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर ख़ारिज फरमा दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर रेस्पो. के अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में बहस समायत कर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का परिक्षण/विवेचन किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को ख़ारिज किये जाने में प्रक्रियात्मक, तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित किया जाना प्रकट होता है | विधि के प्रावधानों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसरण करते हुये आदेश पारित करते किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को ख़ारिज किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी कारित की गयी है | ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय साबित होता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05/12/2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रहमत बनाम अमीर खां हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का विवेचन कर विधिसम्मत एवं युक्तियुक्त आदेश पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करे | तब तक विवादग्रस्त भूमि की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |